विश्वविद्यालय उज्जैन
आवक क्र. 892
दिनांक 24/7/26
प्रशासन

कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उज्जैन संभाग उज्जैन

क्रमांक/दि.शि.प्रो.यो./2026-27/ 668 उज्जैन दिनांक-20-07-2026

प्रति,

1- कुल सचिव, विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन
2- प्राचार्य, कालिदास, कन्या महाविद्यालय, देवास गेट, उज्जैन (अग्रणी महाविद्यालय)
3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन
4- प्राचार्य, शासकीय संभागीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्था, उज्जैन.
5- अधीक्षक, शासकीय दृष्टि एवं श्रवणबाधितार्थ विद्यालय, उज्जैन
6- अधीक्षक, शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का विद्यालय, उज्जैन.

श्री चौधरी जी
24.7.26

विषय:- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑनलाईन क्रियान्वयन करने के संबध में।

संदर्भ:- आयुक्त महो. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय मप्र भोपाल का पत्र क्रमांक/696617/I/1107408/2026, भोपाल दिनांक 22-06-2026 .

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूचित किया जाता है कि, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एनआईसी मप्र के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। उक्त प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज करने के निर्देश जारी किये गये हैं:-

1- दिव्यांग छात्र-छात्राएं स्वंयं पात्रतानुसार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
2- जिले के संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों को भी पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं।
3- जिले के संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा अपात्र होने पर अस्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
4- उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन प्राप्त किये जाये।
5- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही 15 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित की जाये।
6- स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल क्रय करने/क्रय आदेश जारी करने की कार्यवाही 15 अक्टूबर 2026 तक नियमानुसार सुनिश्चित की जाये ।
7- स्वीकृत आवेदनों को उनकी पात्रतानुसार लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2026) जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किये जाये ।
8- लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित करने के उपरांत प्रदाय सामग्री की जानकारी 05 दिसम्बर 2026 तक पोर्टल पर वितरित दिनांक एवं फोटो (वितरण करते समय लिया गया फोटो सहित) अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अत: शासन निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय/विद्यालय/आईटीआई/संस्था स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें । ताकि आगामी कार्यवाही पूर्ण की जा सके ।

संलग्न:- शासन का पत्र.

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
उज्जैन संभाग उज्जैन

पृ0क्रमांक/दि.शि.प्रो.यो./2026-27/ 669 उज्जैन दिनांक-20-07-2026

प्रतिलिपि:-

1- आयुक्त महो., सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मप्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- कलेक्टर महो., जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी महो., जिला पंचायत उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4- उप संचालक, जनसम्पर्क, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशनार्थ ।

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
उज्जैन संभाग उज्जैन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय,मध्यप्रदेश

लिंक रोड़ नम्बर **3**, भोपाल पिन कोड-**462016**

ई-मेल - **dir.socialjustice@mp.gov.in**

क्र./दि.स.696617/ I/1107408/2026 भोपाल दिनांक 22-06-2026

प्रति,

समस्त
संयुक्त / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑनलाईन क्रियान्वन करने के संबंध में।

विषयातंर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। उक्त प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये :-

1. दिव्यांग छात्र - छात्राएं स्वंय पात्रतानुसार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
2. जिले के संयुक्त /उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों को भी पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करें सकते हैं।
3. जिले के संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार एवं पात्रानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा अपात्र होने पर अस्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
4. उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से 31अगस्त 2026 तक आवेदन प्राप्त किये जाये।
5. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही 15सितम्बर 2026 तक सुनिक्षित की जाये।
6. स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल क्रय करने/क्रय आदेश जारी करने की कार्यवाही 15 अक्टूबर 2026 तक नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।
7. स्वीकृत आवेदनों को उनकी पात्रतानुसार लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2026) को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बितरित किये जाये।
8. लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित करने के उपरांत प्रदाय सामग्री की जानकारी 05 दिसम्बर 2026 तक पोर्टल पर वितरित दिनांक एवं फोटो (वितरण करते समय लिया गया फोटो सहित) अपलोड करना सुनिक्षित करें।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

Digitally signed by
Suchita Tirkey Beck
Date: 22-06-2026
10:59:53

कार्यालय प्रमुख/ संयुक्त संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.